

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक / /2026

सं० संख्या-2/आर-31/2025- /स्वा०, डा० अरविन्द खत्री, दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राणपुर, कटिहार का दिनांक-01.09.2020 से 15.03.2024 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-13.01.2024 से 15.03.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-01.09.2020 से 12.01.2024 तक (कुल-1229 (बारह सौ उन्नतीस) दिन)	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-13.01.2024 से 15.03.2024 तक कुल-63 (तिरैसठ) दिन	
i.	दिनांक-13.01.2024 से 14.01.2024	- साप्ताहिक अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-15.01.2024 से 29.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iii.	दिनांक-01.03.2024 से 15.03.2024 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-31/2025- 825(2) पटना, दिनांक 20/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राणपुर, कटिहार/जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/डा० अरविन्द खत्री, दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राणपुर, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।